[This question paper contains 8 printed pages.]

7988 *Your Roll No.* .....

आपका अनुक्रमांक .....

LL.B./VI Term **ES**

Paper LB–6041 : INTERPRETATION OF STATUTES

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

समय : 3 घण्टे *पूर्णांक : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any **five** *questions.*
All *questions carry equal marks.*

कुल **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
सभी *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

P.T.O.

1. Write short notes on any **two** of the following :

   (a) Statute must be read as a whole

   (b) ut res magis valeat quam pereat

   (c) Effect of repeal of a statute in the light of Section-6 of the General Clauses Act, 1897 (20)

   निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

   (क) संविधि को पूर्णरूपेण पढ़ा जाना होगा ।

   (ख) अमान्य से मान्य करना अच्छा है ।

   (ग) साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए किसी संविधि के निरसन का परिणाम ।

2. Section 154 of the English Companies Act, 1929 provided process for transfer of a company to a new company. Under the section, 'transfer' included all properties, rights, liabilities and duties of the transferor company which will vest in the transferee company.

   N was working with the H&Co. under a contract of service. H&Co. was transferred to D&Co. in terms of Section 154, N continued to work at the same place and neither he had any knowledge of such transfer nor H&Co. or D&Co. informed him. N made a wilful absention from work for 3 days and D&Co.

brought an action against him under Employees and Workman Act, 1875. N contended that he was not an employee of D&Co., as he had no contract of service with them and thus no action could be taken against him by D&Co. On the other hand, D&Co. argued that the contract of service between N and H&Co. was property and since all the properties of H&Co. stood vested in D&Co. by virtue of section 154, which is plain and unambiguous D&Co. could bring an action against N.

Decide in the light of Golden Rule of Interpretation. (20)

इंगलिश कम्पनी अधिनियम, 1929 की धारा 154 में कम्पनी के नई कम्पनी में अंतरण हेतु प्रक्रिया का उपबंध है। इस धारा के अन्तर्गत 'अन्तरण' में अन्तरक कम्पनी की समस्त सम्पत्तियां, अधिकार, दायित्व और कर्त्तव्य शामिल हैं जो अन्तरिती कम्पनी में निहित हो जाएंगे।

N सेवा की संविदा के अन्तर्गत H&Co. के साथ कार्य कर रहा था। H&Co. का अंतरण D&Co. में हो गया। धारा 154 के निबंधनों के अनुसार N उसी स्थान पर कार्य करता रहा। उसे न तो इस अन्तरण की कोई जानकारी थी, न ही H&Co. या D&Co. ने उसे सूचना दी थी। N ने जानबूझ कर 3 दिन तक कार्य नहीं किया और D&Co. कर्मचारी और कर्मकार अधिनियम, 1875 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध अनुयोग चलाया। N ने प्रतिवाद किया कि वह D&Co. का कर्मचारी

नहीं है क्योंकि उनके साथ उसकी सेवा की कोई संविदा नहीं है । इस प्रकार D&Co. द्वारा उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । दूसरी ओर D&Co. ने तर्क दिया कि N तथा H&Co. के बीच सेवा की संविदा उचित रूप में की गई थी और चूंकि H&Co. की समस्त सम्पत्तियां धारा 154 के नाते D&Co. में निहित हो गई जोकि सरल तथा असंदिग्ध है, D&Co., N के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकती थी ।

निर्वचन के स्वर्णिम नियम को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय कीजिए ।

3. To curb the wide spread practice of husbands entering into nominal partnership with their wives and fathers admitting their minor children to the benefits of the partnership of which they were members, Section 16(3)(a)(ii) of the Indian Income Tax Act, 1922 was brought, which provides as follows.

Section 16(3).

"In computing the total income of any individual for the purpose of assessment, there shall be included

(i) So much of the income of wife or minor child of such individual as arises directly or indirectly".

(ii) From the admission of the minor to the benefits of the partnership in a firm of which such individual is a partner.

In the light of the above provision, decide whether the word 'individual' occuring in the aforesaid sub-section meant only a male or also includes female ? Apply appropriate Rule of construction. (20)

पतियों के अपनी पत्नियों के साथ नाममात्र की भागीदारी में शामिल होने और पिताओं की भागीदारी के, जिसके वे सदस्य थे, फायदों में अपने अवयस्क बच्चों को प्रवेश देने की बहुप्रचलित परिपाटी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 16(3)(a)(ii) लाई गई जो निम्नलिखित का उपबंध करती है :

धारा 16(3)

"निर्धारण के प्रयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में ये शामिल होंगे -

(i) उसी व्यक्ति की पत्नी या अवयस्क बच्चे की उतनी आय जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उदभूत हुई।"

(ii) उस फर्म में, जिसका ऐसा व्यक्ति भागीदार है, भागीदारी के फायदों में अवयस्क के प्रवेश से उदभूत आय।

उपर्युक्त उपबंध को देखते हुए विनिश्चय कीजिए क्या पूर्वोक्त उपधारा में उक्त 'व्यक्ति' शब्द केवल पुरूष का अर्थ व्यक्त करता है अथवा इसमें नारी भी सम्मिलित है ? अर्थान्वयन का समुचित नियम प्रयुक्त कीजिए।

P.T.O.

4. Bring out the distinction between penal and remedial statutes and the rules of interpretation applicable to them. Discuss the recent judicial trend in the interpretation of penal statutes. (20)

दांडिक और उपचारी संविधियों के बीच सुभिन्नता और उन पर प्रयोज्य अर्थान्वयन नियम पर प्रकाश डालिए। दांडिक संविधियों के निर्वचन में हाल की न्यायिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।

5. To remove the disability imposed by the custom or usage on certain classes of Hindus against entry into a Hindu Public temple, State X passed a law under Article 25(2)(b) of the Constitution and throws open the entry to any such temple to all sections of Hindus. The trustees of a denominational Hindu temple resist the application of such law on the ground that their temple had been built for the benefit of a particular Hindu sect. They contend that under Article 26(b) of the Constitution, they have a right to manage their affairs in the matter of religion which includes right of entry also. Discuss the rule of interpretation that you will apply to resolve the above dispute. (20)

सार्वजनिक हिन्दू मंदिर में प्रवेश के विरूद्ध हिन्दुओं के कतिपय वर्गों पर रूढ़ि या प्रथा द्वारा अधिरोपित निर्योग्यता को दूर करने के लिए X राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के अधीन विधि पारित की और हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए ऐसे किसी भी मंदिर में प्रवेश खोल

दिया। एक संप्रदाय के हिन्दू मंदिर के न्यासियों ने इस आधार पर ऐसी विधि के लागू होने का प्रतिरोध किया कि उनके मंदिर का निर्माण हिन्दू पंथ विशेष के फायदे के लिए किया गया था। उन्होंने प्रतिवाद किया कि संविधान के अनुच्छेद 26(b) के अधीन अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का उनको अधिकार है जिनमें प्रवेश का अधिकार भी शामिल है।

निर्वचन के नियम का विवेचन कीजिए जो उपर्युक्त विवाद को सुलझाने के लिए आप लागू करोगी।

6. The rule of Ejusdem generis has to be applied with care and caution. It is not an inviolate rule of law, but only permissible inference in the absence of an indication to the contrary, and where the context and object of the enactment do not require restricted meaning to be given to the words of general import, it becomes the duty of the courts to give those words their plain and ordinary meaning. Comment critically. (20)

'उसी किस्म या प्रकार का' नियम सतर्कता तथा सावधानी के साथ लागू करना पड़ता है। यह विधि का अनुलंघ्य नियम नहीं है। परन्तु यह प्रतिकूल संकेत के अभाव में मात्र अनुज्ञेय अनुमान है और तब जब अधिनियम के प्रसंग तथा उद्देश्य के लिए सामान्य आशय के शब्दों के साथ जोड़े जाने के लिए प्रतिबंधित अर्थ अपेक्षित न हो। न्यायालयों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन शब्दों का सरल तथा साधारण अर्थ लगाए। समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए।

P.T.O.

7. What are internal and external aids to the construction of statutes ? Assess the importance of the following in the interpretation of statutes :

(a) Preamble and Long Title

(b) Parliamentary History of an Act (20)

सविधियों के अर्थान्वयन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सहायक सामग्री क्या है ? सविधियों के निर्वचन में निम्नलिखित के महत्व का आँकलन कीजिए :

(क) उद्देशिका और दीर्घ शीर्षक ।

(ख) किसी अधिनियम का संसदीय इतिहास ।

8. Write briefly on the following :

(a) Interpretation and Construction

(b) Literal Rule of Construction

(c) Purposive Rule of Construction

(d) Principles of Noscitur-a-sociis (20)

निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिए :

(क) व्याख्या और निर्माण

(ख) अर्थान्वयन का अक्षरश: नियम

(ग) अर्थान्वयन का प्रयोजनमूलक नियम

(घ) साहचर्येण ज्ञायते का सिद्धान्त